यहां पर कानन का राज्य चलता है। श्री पासवान या हम जो दिल में चाहते है, वह नहीं हों सकता।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य के मन में जो चिन्ता नजर आती है, वह इस प्रकार है कि अगर कोई इस तरह से अलग तरीके से कपड़ा तैयार करता है, तो क्या गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ कार्यवही कर सकती है या नहीं, या अगर झूठ या गलत मर्कि लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट कोई कार्यवाही कर सकती है या नहीं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मैं नहीं कहने जा रहा हूं। लेकिन इस बारें में काम करने का जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक हम कार्यवाही करेंगे इस कालिंग एटेन्शन नोटिस के द्वारा माननीय सदस्यों ने जो कम्प्लेट की है, जहां उसको पहूंचाना चाहिये, वहां हम उसको जरूर पहुंचाएंगे। माननीय सदस्यों की भावना को भी हम वहां पहुंचायेंगे। लेकिन अगर माननीय सदस्य मेरी मिनिस्ट्री से कुछ करने के लिये कहेगे, तो कानून के अनुसार जो कुछ हो सकता है, हम वहीं करेंगे, उसके अतिरिक्त हम नहीं कर सकते। माननीय सदस्य को एक दिशा में जाना चाहिये था। लेकिन वह दूसरी दिशा में चले गय् हैं। जो कुछ वह चाहते है, वह इससे उन्हे नहीं मिलेगा। उसके लिये उन्हे दूसरी जगह जाना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें कोई गलती है। गवर्नमेंट में होंने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस हद तक वह जिम्मेदारी है, उस हद तक हम करने की कोशिश करेंगे। यह एशोंरेस नहीं है, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे। लेकिन इसके कानूनी पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है। इस सदन में आ कर माननीय सदस्य कहने लगे कि हम यह करें, वह करे, और अगर हम करेंगे, तो कल वे ही पूछेंगे कि आपने क्यों किया। जो हो सकता है, वह किया जायेगा। जो नहीं हो सकता, उसमें मजबूरी है। जो दुरुस्ती करने की बात है, वह हम उनको पहुंचा देगे और अगर वह करना चाहेंगे तो करेंगे।

SHRI RAM VILAS PASWAN: I asked certain question. What about the amendment to this Act?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You will please understand that the implementation of this Act is not the responsibility of the Commerce Ministry. I cannot move an amendment to this Act. I, as a Commerce Minister, cannot move an amendment to this Act. This has to be done by the Supply Ministry. Please understand that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. A. Rajan. He is not there. We now take up matters under 377

12.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR STARTING CORROSION REPAIRING SECTION AT MANCHESHWAR RAILWAY WORKSHOP, ORISSA

*SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): Sir, I would like to raise the following matter under Rule 377:

The corrosion repairing work of Mancheshwar Railway Workshop, Orissa, has been closed indefinitely after working for few hours on the day of its inauguration. This section of Mancheshwar Railway Workshop was inaugurated by the former Minister of Railways on 12th November, 1981. It was expected that corrosion repairing work will start with full swing in this section as there is a great demand of the repairing of the passenger coaches in this region.

*The original speech was delivered in Oriya.

The Government of India has opened this corrosion repairing section at Mancheswar Railway Workshop of Orissa in order to reduce the work load of Kharagpur and Nagpur Railway Workshops. But, it is a matter of regret that the corrosion repairing section of this Railway workshop stopped working from second day of its inauguration. Seven coaches brought from Kharagpur to this place for repairing have also been taken back.

Though interviews were held about a year back to fill up the vacancies in Mancheswar Railway Workshop but none have been given appointment so far. This is another reason for delay of different works which are under the disposal of the corrosion repairing section of Mancheswar Railway Workshop. I, therefore, request the Minister of Railways to pass necessary instructions to fill up those vacancies without any further delay. At the same time, I demand that the Government of India should start the corrosion repairing section at Mancheswar Railway Workshop forthwith.

(ii) NEED FOR INTRODUCTION OF A FAST TRAIN SERVICE BETWEEN LUCKNOW AND ALLAHABAD.

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा शिक्षा में महत्व है। राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इलाहबाद में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है जो इलाहाबाद से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। किन्तु इलाहाबाद एवं लखनऊ के बीच कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जिससे हजारों लोगों को, जिन्हें अपने व्यक्तिगत अथवा राजकीय कार्यों से लखनऊ से इलाहाबाद या इलाहाबाद से लखनऊ जाना पड़ता है, 8 घंटे से 12 घंटा ट्रेन से यात्रा में लगता है। एक त्रिवेणी एक्सप्रेस लखनऊ से इलाहाबाद होते हुए चुर्क जाती है तथा चुर्क से इलाहाबाद होते हुए लखनऊ जाती है, की स्पीड कम होने तथा स्टापेज ज्यादा होने से एक्सप्रेस न हो करके पैसेन्जर ट्रेन हो गई है। इसे देखते हुए इलाहाबाद से लखनऊ के लिये एक फास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाये। यदि यह सम्भव न हो तो त्रिवेणी एक्सप्रेस में ही सुधार किया जाये।

(iii) STEPS TO CHECK INDISCRIMINATE CUTTING OF TREES CHITTORGARH DISTRICT OF RAJASTHAN.

प्रो० निर्मल कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वन राष्ट्रीय सम्पदा है। वन अधिनियम, 1980 के अनुसार वन हटाने के लिये भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान चितौड़गढ़, जिले में रावतभाटा, जहां राणा प्रताप सागर डैम है, बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 22-9-80 को एक ठेकेदार को डैम में डूब की लकड़ी को निकालने का ठेका नियमों का उल्लंघन करते हुए 7 वर्ष के लिये दिया। यह ठेकेदार डूब की लकड़ी को न निकाल कर आस-पास के हरे-भरे जंगलों को फुर्ती से साफ कर रहा है। कोयले बनाकर प्रतिदिन 8 या 10 टन बेच रहा है। इस व्यक्ति ने भैंसरोडगढ़, पानरवा, जागीर (उदयपुर), बांसवाड़ा, डूंगरपुर (भीलवाड़ा) के जंगलों को साफ किया। इस प्रकार देश की करोड़ों रुपए की वन सम्पदा प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। एक वर्ष में यह स्थिति है तो 7 वर्ष में कितना जगल साफ होगा? अतः मैं केन्द्रीय वन विभाग से आग्रह करूंगी कि अविलम्ब इसमें हस्तक्षेप करके इस अमानवीय, अप्राकृतिक कार्यवाही, जो उक्त ठेकेदार द्वारा की जा रही है, उसको रोके वरना हरे-भरे सभी राजस्थान के जंगल साफ हो गए, जो बचे हुए हैं वह भी साफ हो जायेंगे। फिर भीषण अकाल और अकाल के अलावा वहां के निवासियों के पास क्या बचेगा? केन्द्रीय सरकार इस समस्या को गम्भीर मानते हुए इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।